निष्पक्ष शिकायत समाधान कार्य-प्रणाली के बारे में

माता-पिता के लिए सुनवाई निशुल्क की जाती है, जब तक कि माता-पिता किसी को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त नहीं करते।

❧

यथा सम्भव, सुनवाई ऐसे समय और स्थान पर की जाती है जो माता-पिता को तर्क-संगत रूप से सुविधाजनक हो।

❧

सुनवाई, प्रशासकीय सुनवाईयों के मैरीलैंड कार्यालय द्वारा नियुक्त किसी प्रशासकीय विधि न्यायाधीश द्वारा की जाती है।

❧

यदि माता-पिता की मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है तो उनके लिए दुभाषिये की व्यवस्था की जा सकती है, अथवा यदि आवश्यक हो, तो उनके लिए बातचीत के विशेष साधन प्रदान किये जा सकते हैं।

❧

और अधिक जानकारी चाहिए? निम्नलिखित संसाधन शीघ्र हस्तक्षेप व्यवस्था में माता-पिता के अधिकारों के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करते हैं।

- मैरीलैंड की नियमावली टीका (ऐनोटेटेड कोड) की धारा(यें) 8-416
- COMAR 13A.13.01
- सार्वजनिक कानून (पब्लिक लॉ) 105-17, विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा सम्बन्धी ऐक्ट (इंडिविज्युअल्स विद डिसेबिलिटीज एज्युकेशन ऐक्ट) संशोधनों का भाग सी
- भाग 303, संघीय अधिनियमों (फेडेरल रेग्युलेशन्स) की नियमावली का टाइटल 34
- भाग 300, खंड 560-577, संघीय अधिनियमों की नियमावली का टाइटल 34
- भाग 99, संघीय अधिनियमों की नियमावली का टाइटल 34

इन दस्तावेजों में से किसी की भी प्रतियों के लिए, सम्पर्क करें:

मैरीलैंड राज्य शिक्षा विभाग
विशेष शिक्षा/शीघ्र हस्तक्षेप सेवायें डिवीज़न
Maryland Infants and Toddlers Program
200 West Baltimore Street; Baltimore, MD 21201
(410) 767-0261 फोन • (800) 535-0182 टोल फ्री फोन
(410) 333-8165 फैक्स • (410) 333-0731 TDD

Robert L. Ehrlich, Jr.
गवर्नर

Edward L. Root
अध्यक्ष, मैरीलैंड राज्य शिक्षा बोर्ड

Nancy S. Grasmick
राज्य स्कूल अधीक्षिका

Carol Ann Baglin
सहायक राज्य अधीक्षक
विशेष शिक्षा/ शीघ्र हस्तक्षेप सेवायें डिवीज़न

मैरीलैंड राज्य शिक्षा विभाग, रोजगार को प्रभावित करने वाले मामलों में या कार्यक्रमों के लिए सुलभता प्रदान करने में नस्ल, रंग, लिंग, आयु, राष्ट्रीय मूल, धर्म या विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं करता। विभागीय नीति से सम्बन्धित पूछताछ के लिए, कृपया समानता आश्वासन और अनुपालन (इक्विटी अश्युरेंस एण्ड कम्पलायंस) शाखा को 410-767-0246 फोऩ 410-333-2226 फैक्स़ अथवा 410-333-6442 TDD पर सम्पर्क करें।✦ यह दस्तावेज यू. एस. शिक्षा विभाग, विशेष शिक्षा और पुनर्वासीय सेवाओं के कार्यालय, IDEA, भाग सी, अनुदान #H181A020124 से प्राप्त निधियों से विशेष शिक्षा/शीघ्र हस्तक्षेप सेवाओं के डिवीजन के द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया।✦ इसमें व्यक्त विचार आवश्यक रूप से यू. एस. शिक्षा विभाग अथवा अन्य किसी संघीय संस्था के विचारों को परिलक्षित नहीं करते और इन्हें उस रूप में नहीं देखा जाना चाहिये।✦ यह जानकारी कॉपी राइट से मुक्त है। पाठकों को इसकी प्रतियां बनाने और इसे बांटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, परन्तु कृपया मैरीलैंड राज्य शिक्षा विभाग, विशेष शिक्षा/शीघ्र हस्तक्षेप सेवायें डिवीजन को श्रेय दें।✦ अमेरिकन्स विद डिसेबिलिटीज ऐक्ट (ADA) के अनुसार यह दस्तावेज, अनुरोध पर, वैकल्पिक प्रारूपों में उपलब्ध है। मैरीलैंड राज्य शिक्षा विभाग के विशेष शिक्षा/शीघ्र हस्तक्षेप सेवायें डिवीजन को 410-767-0261 फोऩ 410-333-2661 फैक्स़ 410-333-0731 TDD पर सम्पर्क करें।

3/04

शीघ्र हस्तक्षेप व्यवस्था में निष्पक्ष शिकायत समाधान कार्य-प्रणालियां

मैरीलैंड राज्य शिक्षा विभाग
विशेष शिक्षा/ शीघ्र हस्तक्षेप सेवायें डिवीजन
मैरीलैंड इनफैंट्स एण्ड टोडलर्स प्रोग्राम

Hindi

क भी-कभी, सेवा प्रदाता और माता-पिता शीघ्र हस्तक्षेप व्यवस्था में परिवार की भागीदारी के कुछ पहलुओं के बारे में असहमत होते हैं, इनमें शामिल हैं:

- पात्रता/योग्यता का निर्धारण
- बच्चे का मूल्यांकन या असेसमेन्टट
- पात्र/योग्य बच्चे के लिए शीघ्र हस्तक्षेप सेवाओं का प्रावधान
- शीघ्र हस्तक्षेप सेवाओं के लिए माता-पिता का वित्तीय दायित्व

जब ऐसा होता है, तो बातचीत मुश्किल बन सकती है और संबंधित पक्ष पारस्परिक रूप से सहमति योग्य निर्णय पर पहुँचने में स्वयं को असमर्थ पा सकते हैं।

माता-पिता की समस्याओं को सुलझाने में मदद करने के लिए एक उपलब्ध विकल्प मध्यस्थता है - शिकायत समाधान का एक स्वैच्छिक रूप जिसमें एक मध्यस्थ संबंधित पक्षों को पारस्परिक रूप से सहमति योग्य निर्णय पर पहुंचने में सहायता करता है। इस विकल्प पर और अधिक जानकारी के लिए मैरीलैंड इनफैंट्स एण्ड टोडलर्स प्रोग्राम से उपलब्ध *मीडिएशन इन दि अर्ली इन्टरवेंशन सिस्टम (शीघ्र हस्तक्षेप व्यवस्था में मध्यस्थता)* नामक पुस्तिका का सन्दर्भ लें।

निष्पक्ष शिकायत समाधान कार्य-प्रणाली, माता-पिता के द्वारा दर्ज शिकायतों के समाधान के लिए उपलब्ध औपचारिक प्रक्रिया है। इस कार्य- प्रणाली में प्रशासकीय विधि न्यायाधीशों के द्वारा सुनवाई पर दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और उनके गवाहों पर आधारित निर्णय की ज़रूरत होती है।

जब तक कोई निष्पक्ष शिकायत कार्य-प्रणाली अधूरी (पेन्डिंग) है, शीघ्र हस्तक्षेप सेवायें बीच में नहीं रोकी जायेंगी जब तक कि स्थानीय कार्यक्रम और माता-पिता अन्यथा सहमत नहीं हो जाते। यदि शिकायत में प्रारम्भिक सेवाओं के लिए आवेदन शामिल है, तो बच्चे को वे सेवायें प्राप्त होंगी जिन पर विवाद नहीं है।

सुनवाई के दौरान माता-पिता को निम्नलिखित अधिकार हैं:

- किसी कानूनी सलाहकार या उन व्यक्तियों को साथ में लाने का और उनके द्वारा सलाह लेने का जिन्हें शीघ्र हस्तक्षेप सेवाओं के बारे में ज्ञान या प्रशिक्षण प्राप्त है।
- साक्ष्य प्रस्तुत करने और सामना करने, जिरह (बहस) करने, और गवाहों की उपस्थिति हेतु दबाव डालने का।
- किसी भी उस साक्ष्य को पेश करने से मना करने का जिसके बारे में उन्हें सुनवाई से कम से कम पाँच दिन पहले नहीं बताया गया है।

सुनवाई के बाद, माता-पिता को निम्नलिखित अधिकार हैं:

- मैरीलैंड इनफैंट्स एण्ड टोडलर्स प्रोग्राम के द्वारा सुनवाई के लिए अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर लिखित निर्णय प्राप्त करने का।
- सुनवाई की कार्यवाही के आलेख की एक लिखित या इलेक्ट्रोनिक अक्षरश: नकल, निशुल्क प्राप्त करने का।
- निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर, राज्य या संघीय न्यायालय में सिविल वाद दायर करने का।

सुनवाई के लिए अनुरोध करने हेतु, माता-पिता को:

मैरीलैंड इनफैंट्स एण्ड टोडलर्स प्रोग्राम, विशेष शिक्षा/शीघ्र हस्तक्षेप सेवायें डिवीजन, मैरीलैंड राज्य शिक्षा विभाग से उपलब्ध *निष्पक्ष शिकायत समाधान कार्य-प्रणाली के लिए अनुरोध फॉर्म* पूरा भरना चाहिए।

फॉर्म पर, माता-पिता को सुनवाई से पहले मध्यस्थता में हिस्सा लेने को चुनने का विकल्प दिया गया है। यदि माता-पिता मध्यस्थता चुनते हैं, परन्तु संबंधित पक्ष मध्यस्थता सत्र में पारस्परिक रूप से सहमति योग्य निर्णय पर नहीं पहुँच पाते, तो माता-पिता अभी भी *निष्पक्ष शिकायत समाधान कार्य-प्रणाली* संचालित कराये [illegible] अधिकारी हैं।